<u>समाचार</u>

18 एवं 19 दिसम्बर को बंद रहेगा पशुवध कार्य

कोरबा 15 दिसम्बर 2025 – नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत संचालित समस्त वधशालाओं एवं मांस विक्रय की दुकानों को दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। इन तिथियों में किसी प्रकार का पशुवध न होगा और न ही मांस का विक्रय होगा। निगम द्वारा 18 दिसम्बर गुरू घासीदास जयंती एवं 19 दिसम्बर को संत तारण तरण जयंती के विशिष्ट अवसर पर पशुवधगृहों व मांस विक्रय की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखने तथा किसी भी प्रकार का पशुवध न करने और न ही मांस का विक्रय करने के निर्देश समस्त पशुवधगृह संचालकों व संबंधित दुकानदारों को दिए गए हैं। उक्त तिथियों में यदि किसी भी दुकान में मांस का विक्रय किया जाता है तो मांस जप्त कर संबंधित के विरूद्ध यथोचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।